न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 521/2016
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2016/00294

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1.पूंजाराम पुत्र जैसाराम 2.रूपाराम पुत्र जैसाराम 3.तेजाराम पुत्र जैसाराम 4.सुआ पत्नि जैसाराम जाति पुरोहित निवासी ब्राहमधाम आसोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा 2.सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थी अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 29.07.2025

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि मूल ग्राम आसोतरा वर्तमान राजस्व ग्राम खेतेश्वर ब्रम्हाधाम तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 752 रकबा 2.17 बीघा भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में अवस्थित थी। तत्पश्चात उक्त भूमि मे से आसोतरा से ब्रम्हाधाम जाने वाली सड़क में प्रार्थीगण की भूमि रकबा 2.08 बीघा सड़क निर्माण हेतु उपयोग मे ली गयी,जिसके खसरा संख्या 833/752 कायम हुए। इस प्रकार प्रार्थीगण के खाते मे शेष रकबा 09 बिस्वा रहा,जिसके खसरा संख्या 832/752 कायम हुए। प्रार्थीगण का शेष रकबा पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की शेष रकबा 0.09 बीघा भूमि का जमाबंदी मे तो इन्द्राज हो गया,लेकिन लटढा ट्रेस में अंकन नही किए जाने के कारण मौके पर विवाद की स्थिति पैदा हो गए है,जिसके कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर माफिक खतौनी कब्जा काश्त खसरा संख्या 832/752 रकबा 09 बिस्वा का लटढा ट्रेस में तरमीम अंकित करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब पेश नही कर मौका जांच रिपोर्ट पेश की गई। विप्रार्थी संख्या 02 को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। वक्त बहस विप्रार्थी अनुपस्थित रहे।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्त की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि मूल ग्राम आसोतरा वर्तमान राजस्व ग्राम खेतेश्वर ब्रम्हाधाम तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 752 रकबा 2.17 बीघा भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में अवस्थित थी। तत्पश्चात उक्त भूमि मे से आसोतरा से ब्रम्हाधाम जाने वाली सड़क में प्रार्थीगण की भूमि रकबा 2.08 बीघा सड़क निर्माण हेतु उपयोग मे ली गयी,जिसके खसरा संख्या 833/752 कायम हुए। इस प्रकार प्रार्थीगण के खाते मे शेष रकबा 09 बिस्वा रहा,जिसके खसरा संख्या 832/752 कायम हुए। प्रार्थीगण का शेष रकबा पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की शेष रकबा 0.09 बीघा भूमि का जमाबंदी मे तो इन्द्राज हो गया,लेकिन लटढा ट्रेस में अंकन नही किए जाने के कारण मौके पर विवाद की स्थिति पैदा हो गए है,जिसके कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि लटढा नक्शा में तरमीम नही होना का नाजायज फायदा उठाकर सेढा पड़ौसियो द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी में दंखलदान्जी करने की कोशिश करते रहते है,जबकि विप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी रिपोर्ट मे लटढा नक्शा मे हो रखी गलती को स्वीकार किया है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर माफिक खतौनी कब्जा काश्त खसरा संख्या 832/752 रकबा 09 बिस्वा का लटढा ट्रेस में तरमीम अंकित करवाने का आदेश फरमाया जावे।

4.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि मूल ग्राम आसोतरा की मूल खसरा संख्या 752 रकबा 2.17 बीघा भूमि मे से रकबा 2.08 बीघा भूमि सड़के सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी) के नाम इन्द्राज हुए तथा शेष रकबा 09 बिस्वा प्रार्थीगण की खातेदारी का रहा,जो कि पत्रावली के संलग्न नामान्तकरण संख्या 744 की प्रमाणित प्रति अवलोकन से प्रतीत होता है। प्रार्थी पक्ष द्वारा आवेदन पत्र के जरिए अनुतोष चाहा गया है कि जमाबंदी मे इन्द्राज रकबेनुसार लटढा नक्शा में भी तरमीम अंकित की जावे। लेकिन प्रार्थी पक्ष यह बता नही पाए कि उक्त लटढा नक्शा में खसरान तरमीम करवाने के लिए 33 वर्ष समय व्यतीत किए जाने के क्या कारण रहे,इस संबध मे कोई संतुष्टप्रद कारण नही बता पाए। इसके अलावा हलका पटवारी जयपाल करीर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा मूल खसरा संख्या 754 व 755 में बटटा नम्बर में आगे आगे सड़क के समानान्तर करीब 20 फीट चौड़ाई पर तारबन्दी कर अतिक्रमण किया हुआ है,जिसका घारा 91 के तहत अतिक्रमण दर्ज किया गया है। इस प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थीगण का आवेदन चलने योग्य है,क्योकि विवादित आराजी के संबध मे 91 आर.एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण हस्तगत प्रकरण मेन्टलबल नही है। इसके विपरीत प्रार्थीगण का उत्तरदायित्व बनता है कि आवेदन को अपने स्तर से साक्ष्य सबूतो के आधार पर साबित करे,लेकिन प्रार्थी पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किया,जिससे प्रतीत होता हो कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य हो। ऐसा सूरत मे प्रार्थीगण का आवेदन खारिज योग्य है।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण का आवेदन चलने योग्य नही होने के कारण खारिज योग्य है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 29/07/25 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
29/07/25